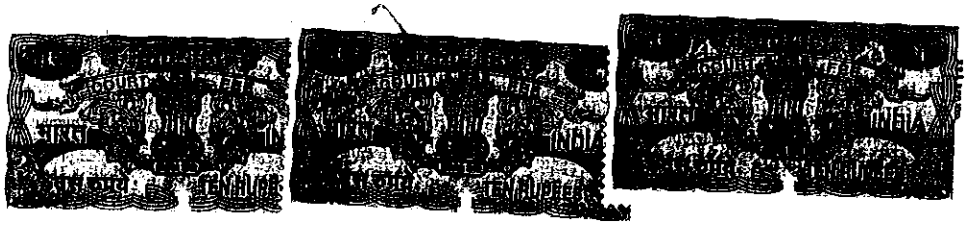

(161)

III | निगरानी | अशोकनगर | भू.रा. | 2017 | 2558

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :– ..../ /2017 निगरानी, अशोकनगर

प्रद्युम्न जैन पुत्र केवल चन्द निवासी ग्राम शाढोरा जिला अशोकनगर –प्रार्थी

बनाम

1– म. प्र. शासन

2– सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत शाढोरा जिला अशोकनगर म.प्र. –प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

न्यायालय श्री डी.डी. अग्रवाल, अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 200/2014–15/अपील मे पारित आदेश दिनांक 27/06/2017 के विरूद्ध निगरानी

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

निगरानी प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, विवादित भूमि स्थित ग्राम शाढोरा तहसील शाढोरा सर्वे क्रमांक 1391 रकवा 0.005 हैक्टर (8×8 फीट) की दुकान जिस पर टीन शेड है उक्त दुकान आवेदक को 40 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत [illegible] शाढोरा द्वारा 7.50/– रुपये किराये पर दी गयी थी आवेदक द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत को किराया अदा किया जाता रहा है। उक्त दुकान मे आवेदक द्वारा टीन शेड डालकर जूते चप्पल का व्यवसाय अपने पिता के समय से करता चला आ रहा है उक्त दुकान सार्वजनिक रास्ते से दूर बस्ती मे है।

2– यह कि, ग्राम के कुछ लोग आवेदक से व्यवसायिक द्वेषता रखते है उनके द्वारा शिकायत करने पर तहसीलदार शाढोरा जिला

... ग्राह्य है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

तीन / निगरानी / अशोकनगर / भूरा / 2017 / 2558

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
18-9-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 200 / अपील / 2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 27.6.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता एवं शासन के पैनल अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक को भूखण्ड पर उसे सक्षम अधिकारी द्वारा भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये हो। आवेदक ने स्वयं यह तथ्य स्वीकार किया है कि वह वर्ष 2011 में 15 दिन और बाद में 3 माह सिविल कारागार में सजा काट चुका है, जिससे यह प्रमाणित है कि वह शासकीय भूमि पर बैजा करने का आद्यतन अपराधी है। 3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 200 / अपील / 2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 27.6.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। सदस्य	